मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक 114/नि सभृ/2021 भोपाल, दिनांक 04/05/2021

आदेश

राज्य में कोविड-19 महामारी के प्रकरणों मे विगत दिनों मे बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य शासन महामारी की रोकथाम हेतु उपलब्ध संसाधनों को जुटाने तथा अनुकूलन के माध्यम से सभी संभव उपाय कर रही है और साथ ही महामारी के संक्रमण मे बढ़ोत्तरी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ा रही है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने वर्तमान कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु आवश्यक वस्तुओं के आयात संबंधी विभिन्न प्रावधानों मे छूट दी है।

अतः कोविड-19 महामारी की रोकथाम से संबन्धित समस्त गतिविधियों के लिए आयातित वस्तुओं/ उपकरणों/ यंत्रों/ दवाइयों/ सामग्रियों की सुगम प्राप्ति हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम - 2005 की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य कार्यकारिणी समिति श्री जॉन किंग्सले, भा.प्र.से., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम को केंद्र सरकार के संबन्धित विभागों / एजेंसियों के साथ समन्वयन के लिए तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

श्री किंगस्ले द्वारा समन्वयन का कार्य श्री आकाश त्रिपाठी, स्वास्थ्य आयुक्त के मार्गदर्शन मे संपादित किया जावेगा।

4/5/21.

(डी श्रीनिवास वर्मा)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग एवं
सचिव/ समन्वयक, राज्य कार्यकारिणी समिति

पृ क्रमांक 114/निसगृ/2021 भोपाल, दिनांक 04/05/21

प्रति

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री), मध्यप्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग।
6. प्रमुख सचिव (राजस्व) सह राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
8. श्री आकाश त्रिपाठी, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
9. श्री जॉन किंग्सले, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम।

4/5/21

(डी श्रीनिवास वर्मा)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग एवं

सचिव/ समन्वयक, राज्य कार्यकारिणी समिति